विशेष न्यायालय (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायालय,

कोर्ट संख्या:– 02, उन्नाव

UPUN010043062026

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या:– 1831/2026

1. **बेंचे लाल पुत्र गजराज,**
2. **श्रीमती नीलम पत्नी बेंचे लाल,**
   निवासीगण:– ग्राम चौरा, पोस्ट:– करोवन, थाना:– कोतवाली, जिला:– उन्नाव

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

1. **उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उन्नाव,**
2. **श्रीमती सोनी पत्नी हरीशंकर, निवासिनी:– ग्राम चौरा, पोस्ट:– करोवन, थाना:– कोतवाली, जिला:– उन्नाव**

.....विपक्षीगण

मु०अ०सं०:– 350/2025,
धारा:– 115(2), 352, 351(3), 117(2) बी०एन०एस०
एवं 3(1)द, 3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना:– कोतवाली, जिला:– उन्नाव

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र

दिनांक:– 17.08.2026

अभियुक्तगण **बेंचे लाल एवं श्रीमती नीलम** की ओर से **मु०अ०सं०:– 350/2025, धारा:– 115(2), 352, 351(3), 117(2) बी०एन०एस० एवं 3(1)द, 3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना:– कोतवाली, जिला:– उन्नाव** में प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्तगण के द्वारा दाखिल प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र में इस तथ्य का उल्लेख किया कि प्रार्थीगण का इस न्यायालय में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इससे पहले न ही इस न्यायालय में न ही माननीय उच्च न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र दिया है और न ही खारिज है और न ही विचाराधीन है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी सोनी पत्नी हरिशंकर निवासी ग्राम चौरा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव की है महोदय घटना दिनांक 02.05.2025 की रात लगभग 9 बजे की है प्रार्थिनी अपने घर जा रही थी तभी बेचेलाल की पत्नी नीलम ने कहा जा रही है चमारिन तब प्रार्थिनी ने अपने पति से बताया तो पति शिकायत करने बेचेलाल पुत्र गजराज के पास गया तो बेचेलाल लोध उसकी पत्नी ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया और जब हरिशंकर ने विरोध किया तो बेचेलाल व उसकी पत्नी ने लात धूसो व डंडे से मारना शुरू कर दिया तब प्रार्थिनी के पति चिल्लाने लगे तो आवाज

सुनकर प्रार्थिनी गयी तो प्रार्थिनी को भी पीटने लगे किसी तरह से प्रार्थिनी व पति जान बचाकर भागे तो उपरोक्त लोगो ने जान से मारने की धमकी देते हुये कहा इस बार बच गये दुबारा जान से मार देगे। जिसकी घटना की सूचना प्रार्थिनी ने पुलिस थाने आकर दी कहा प्रार्थिनी के पति का मेडिकल कराया गया तथा प्रार्थिनी के पति का हाथ टूट गया है अभी तक कोई मुकदमा नही लिखा गया है अतः महोदय से प्रार्थना है कि प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेकर उपरोक्ट नीलम व बेचेलाल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने की कृपा करे।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आधार जमानत में कथन किया है कि उपरोक्त वाद में प्रार्थीगण को फर्जी व झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण निर्दोष है तथा प्रार्थी संख्या 1 विकलांग व्यक्ति है। प्रार्थीगण की उपरोक्त मामले में देरी हुई जो रायमसविरे के तौर पर दर्ज कराई गई है। प्रार्थीगण गरीब व्यक्ति है प्रार्थीगण को गाँव की गन्दी राजनीति के चलते फर्जी व झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने वादिनी मुकदमा या अन्य किसी को कोई जातिसूचक गालियों नहीं दी है वादिनी मुकदमा द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर मनगढ़न्त व राय मसविरे के आधार पर प्रार्थीगण को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने किसी को मारा पीटा नही है और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नही किया है तथा किसी को कोई चोटे नही आयी है तथा प्रार्थीगणों ने किसी के साथ कोई मार पीट जैसी घटना कारित नही की है जिससे कि उसके शरीर पर चोओ आयी हो महज वादिनी मुकदमा द्वारा फर्जी तरीके से प्रार्थीगणों पर हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखाया गया है। प्रार्थीगण ने वादिनी मुकदमा तथा उसके अन्य परिजनों के के साथ किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा आदि नही किया है महज वादिनी मुकदमा द्वारा फर्जी तरीके से फंसाया गया है। उक्त वाद में प्रार्थीगण ने किसी घटना को कारित नही किया है बल्कि वादिनी मुकदमा के पति हरिशंकर शराब के नशे में नालें में गिरने से उसे चोटे आयी थी परनतु आर्थिक लाभ के लालच में तथा रंजिशन फर्जी व झूठा फसा दिया गया है। प्रार्थीगण ने उपरोक्त धाराओं के तहत कोई जुर्म कारित नही किया है तथा प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थीगण का इस न्यायालय में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इससे पहले न ही इस न्यायालय में न ही माननीय उच्च न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र दिया है और न ही खारिज है और न ही विचाराधीन है। प्रार्थीगण दौरान मुकदमा न भागेगे, न गवाहान सबूत को तोड़ेगे और न ही उन पर कोई बेजा असर डालेगे। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित जमानत की समस्त शर्तो का अनुपालन करेगे। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का घोर विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्तगण के द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक व वादिनी मुकदमा के अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वादिनी मुकदमा पर नोटिस का तामीला पर्याप्त है। वादिनी मुकदमा अथवा वादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त जमानत प्रार्थना–पत्र के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त मुकदमा में आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा धारा 115(2), 352, 351(3), 117(2) बी०एन०एस० एवं 3(1)द, 3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त बेंचे लाल का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है जो क्रमशः 1. मु०अ०सं०–193/2022, 2. मु०अ०सं०–287/2023 एवं 3. मु०अ०सं०–151/2018 है। प्रस्तुत आपराधिक इतिहास में धारा का उल्लेख नहीं किया गया है तथा अभियोजन की ओर से ऐसा कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें अभियुक्त बेंचे लाल को दोषसिद्ध किया गया हो। अभियुक्तगण दिनांक 14.07.2026 से अंतरिम जमानत पर हैं तथा दौरान अंतरिम जमानत इनके द्वारा जमानत का दुरूपयोग किये जाने का कोई तथ्य न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है।

अतः मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना अभियुक्तागण को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण **बेंचे लाल एवं श्रीमती नीलम** की ओर से **मु०अ०सं०:– 350/2025, धारा:– 115(2), 352, 351(3), 117(2) बी०एन०एस० एवं 3(1)द, 3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना:– कोतवाली, जिला:– उन्नाव** में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र **स्वीकार** किया जाता है तथा अभियुक्तगण उपरोक्त प्रत्येक द्वारा रू० 20,000/–(बीस हजार रूपए) का स्वबंध पत्र एवं समान धनराशि की दो–दो प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक:– 17.08.2026

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या:– 02, उन्नाव